भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1468

दिनांक 11 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन

†1468. डॉ0 डी0 रविकुमार:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने चुनाव के रूप को बदलने के लिए राज्य सरकारों को विकल्प देने के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष से स्थानीय/शहरी निकायों के प्रमुख पदों के लिए चुनाव के रूप को बदल दिया है;

(ख) क्या यह कदम पंचायती राज अधिनियम के विचार को खराब करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि चुनाव के रूप में परिवर्तन न हो सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) जी नहीं, महोदय। वर्ष 1996 से कराए गए सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनावों में, तमिलनाडु पंचायत अिधनियम, 1994 की धारा 43 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रेसीडेंटों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 243ग के खंड (5) (ख) और तमिलनाडु पंचायत अिधनियम, 1994 की धारा 50 और धारा 56 के अनुसार, पंचायत यूनियन और जिला पंचायतों के लिए अध्यक्षों का निर्वाचन उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था।

(ख) से (ड़) उपर्युक्त क को देखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*****